संख्या–2467 / 71–2–17–37 / 2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2017

विषयः–निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की शुल्क निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठयक्रमों हेतु फीस नियमन के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–2808 / 16–1–2014–5 (डब्ल्यू–48), दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2– उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः–

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी–

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
(दो) उपलब्ध अवसंरचना
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

3– उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा

धारा–10(1) (छः) के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित मानदण्डों को भी संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गयी है:–

(i) आर्थिक उपयोगी जीवन (**Useful Economic Life**) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम–2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(ii) वर्ष 2016–17 की **Audited Balance Sheet** के आधार पर वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष **Inflation** की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार **Inflation** की दर के आधार पर वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह **Inflation** की दर केवल **Variable Cost** (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(iii) **Fixed Asset** पर मात्र **SLM (Straight Line Depreciation Method)** के आधार पर **Depreciation** ही अनुमन्य कराया गया है।

(iv) जहाँ **UG & PG Courses** दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 **UG:PG** का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में **Nursing Courses** या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग **Nursing Courses** या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(v) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मॅहगाई के कारण होने वाली सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढॉचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित **Inflation** की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 02 वर्षो तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(vi) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।

(vii) जिन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015–16 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, उन संस्थाओं को 07 प्रतिशत **Inflation** की दर को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015–16 की बैलेन्स शीट के आधार पर 07 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वृद्धि तथा आनुपातिक विकास शुल्क को समाहित करते हुए शुल्क की गणना किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

4– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव/निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित कालेजों के चेयरमैन/प्रधानाचार्यों से उपलब्ध कराने की अपेक्षा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सदस्य सचिव, फीस नियमन समिति के पत्र दिनांक 31.05.2017, 08.06.2017, 27.06.2017, 05.07.2017 एवं 08.7.2017 द्वारा की गयी।

5– फीस नियमन समिति द्वारा उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिनांक 14.06.2017 की बैठक में आमंत्रित किया गया।

6– फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 के लिए निम्नलिखित मेडिकल कालेजों के सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0सं	संस्था का नाम	प्रति छात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि रू0 लाख में)
1	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सफेदाबाद बाराबंकी।	8.50
2	कान्ती देवी मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा।	11.47
3	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	10.67
4	राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	9.84
5	श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	11.44
6	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, कानपुर।	9.90
7	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़, गाजियाबाद।	10.37

8	रोहिलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बरेली।	10.81
9	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़।	11.05
10	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	10.55
11	टी0एस0एम0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ।	11.04
12	वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज बन्थरा, शाहजहांपुर।	11.10
13	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।	10.31
14	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	10.59
15	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा।	11.50
16	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अटरिया सीतापुर।	9.88
17	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	8.50
18	मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद।	8.50
19	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा।	8.50
20	जी0सी0आर0जी0 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	8.50
21	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	8.50
22	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा।	8.50
23	जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआं, हापुड़।	8.50

7— उक्त तालिका के क्रमांक—1 से 12 तक अंकित मेडिकल कालेजों/संस्थाओं द्वारा वर्ष 2016—17 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, अतः तदनुसार ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है। क्रमांक—13 से 16 तक अंकित 04 संस्थाओं/मेडिकल कालेजों द्वारा वर्ष 2015—16 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, तदनुसार वर्ष 2015—16 की ऑडिटेड बैलेन्स शीट के आधार पर 07 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वृद्धि तथा आनुपातिक विकास शुल्क को समाहित करते हुये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त तालिका के क्रमांक—17 पर उल्लेखित सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा अपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी गयी है तथा क्रमांक—18 से 23 तक अंकित 06 मेडिकल कालेजों/संस्थाओं द्वारा कोई भी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्रमांक—17 से 23 तक अंकित संस्थाओं का शुल्क न्यूनतम निर्धारित शुल्क के आधार पर निर्धारित किया जाय।

8— जिन मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को एम0सी0आई0 द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्रों हेतु छात्रों का प्रवेश लेने से डिबार कर दिया गया है, उनके द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क सम्बन्धित मेडिकल कालेज में पूर्व से अध्ययनरत

छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 के लिए ली जायेगी।

9– निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित मेडिकल कालेज निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

10– उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना वेबसाइट **https://upneet.gov.in** एवं **www.updgme.in** पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 शासन द्वारा तत्काल प्रदर्शित करायी जायेगी। सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/संस्थाओं द्वारा भी अपनी अधिकृत वेबसाइट पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क को प्रदर्शित किया जायेगा। शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2467(1)/71–2–2017–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री , उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बासॅमण्डी चौराहा, लखनऊ।
7. समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य, सम्बन्धित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

SO/Fees/Go 2017